न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 22/2024

प्रार्थीगण

1 बालाराम पुत्र मोटाराम के कायम मुकाम 1/1 रतनपाल 1/2 रामपाल 1/3 खेमपाल पिसरान बालाराम जाति जाट निवासी रामसर का कुआ बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण 2 गोमाराम 3 खेमाराम 4 भींयाराम 5 हीरसिंह पिसरान रूपाराम 6 मालाराम 7 ईशराराम पिसरान लिछमणाराम 8 खरथाराम 9 मोडाराम पिसरान चिमाराम 10 गवरी पत्नी चिमाराम 11 चैनाराम 12 लाधूराम 13 धन्नाराम 14 गोमाराम पिसरान वीरमाराम 15 चम्पादेवी पत्नी अचलाराम 16 धर्माराम 17 बन्नाराम 18 भीखाराम पिसरान अचलाराम 19 चुनाराम 20 हरूराम पिसरान अणदाराम 21 चम्पादेवी पत्नी अणदाराम 22 पुरो पुत्री अणदाराम 23 जुंझाराम पुत्र मोडाराम 24 नेनूदेवी पत्नी मोडाराम 25 प्रहलादराम पुत्र मोडाराम 26 राजोंदेवी पत्नी मोडाराम 27 जेठाराम पुत्र रामाराम 28 अणसीदेवी पत्नी खरथाराम 29 खेराज 30 बगताराम पिसरान कमला 31 सुखी पुत्री कमला 32 गुडी 33 चुकी 34 मांगी 35 रतनी पुत्रियान रेखााराम 36 मंजू पुत्री हरखाराम 37 पवनी पत्नी हरखाराम 38 नेनू पत्नी रेखाराम 39 प्रदीप पुत्र रेखाराम 40 लुणी पुत्री रेखाराम जाति जाट निवासी रामसर का कुआ बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के. मेराजा, वकील प्रार्थीगण पक्ष।

आदेश

दिनांक 13/01/25

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 40 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा रामसर का कुआ पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 707 रकबा 137.12 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 707 में 1/8 हिस्सा व खसरा संख्या 732 में 1/20 हिस्सा प्रार्थीगण के पिता बालाराम व उसके भाई पूनमाराम द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 20.07.2001 को खरीद की गई थी जो बाद नामान्तकरण के बालाराम व पूनमाराम के नाम खातेदारी में दर्ज हुई परन्तु खसरा संख्या 707 की चौसाला जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 को संधारित करते समय हल्का पटवार व राजस्व कर्मचारियों द्वारा द्वारा प्रार्थीगण के पिता बालाराम का नाम भूलवंश लालाराम अंकित हो गया जबकि खसरा संख्या 732 में भी सही नाम बालाराम ही अंकित है जबकि खसरा संख्या 707 की चौसाला जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में गलत नाम दर्ज हो गया। प्रार्थीगण के पिता का नाम बालाराम है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

र का कुआ पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 707 रकबा 137.12 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के पिता का नाम लालाराम के स्थान पर बालाराम शुद्ध करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के पिता फौत हो जाने के कारण विरासतन नामान्तकरण भरवाने हेतु पटवारी हल्का के पास जाने पर उक्त गलत नाम लालाराम होना प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ है। उक्त नाम गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण का नाम अंकन होने पर भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थीगण मौजा रामसर का कुआ पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 707 रकबा 137.12 बीघा भूमि में प्रार्थीगण अपने पिता का नाम लालाराम के स्थान पर बालाराम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण मौजा रामसर का कुआ पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 707 रकबा 137.12 बीघा भूमि के राजस्व अभिलेख में लालाराम के स्थान पर बालाराम शुद्ध करवाने का आदेश फरमावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक राजस्व/2024/2018 दिनांक 23.12.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा रामसर का कुआ पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 732 रकबा 16.3736 हैक्टेयर भूमि में मृतक बालाराम पुत्र मोटाराम का नाम सही दर्ज था जिसका विरासतन नामान्तकरण होने पर मृतक बालाराम के कायम मुकाम रामपाल खेमपाल रतनपाल पिसरान बालाराम शेरूदेवी पुत्री बालाराम व नेनूदेवी पत्नी बालाराम के नाम दर्ज हुए लेकिन मौजा रामसर का कुआ पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 707 रकबा 22.2739 हैक्टेयर भूमि में लालाराम पुत्र मोडाराम हिस्सा 1/10 जाति जाट नाम दर्ज है। पूछताछ करने के आधार पर पाया गया कि मृतक बालाराम पुत्र मोडाराम का नाम मौजा रामसर का कुआ पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 707 में सहवन से लालाराम पुत्र मोडाराम दर्ज हो गया है जो गलत है। सहखातेदारों व मौजिज लोगो ने बताया कि खसरा संख्या 707 में दर्ज लालाराम पुत्र मोडाराम नाम का कोई अन्य खातेदार नही ... म पुत्र मोडाराम की जगह बालाराम पुत्र मोडाराम शुद्ध किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के पिता का नाम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2075–2078, 2071 से 2074 एवं अन्य राजस्व अभिलेखों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने रिपोर्ट में अंकित

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

है कि खसरा संख्या 707 रकबा 22.2739 हैक्टेयर भूमि में लालाराम पुत्र मोडाराम हिस्सा 1/10 जाति जाट नाम दर्ज है। पूछताछ करने के आधार पर पाया गया कि मृतक बालाराम पुत्र मोडाराम का नाम मौजा रामसर का कुआ पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 707 में सहवन से लालाराम पुत्र मोडाराम दर्ज हो गया है जो गलत है। सहखातेदारों व मौजिज लोगो ने बताया कि खसरा संख्या 707 में दर्ज लालाराम पुत्र मोडाराम नाम का कोई अन्य खातेदार नही है। लालाराम पुत्र मोडाराम की जगह बालाराम पुत्र मोडाराम शुद्ध किया जाना उचित है। लिहाजा मौजा रामसर का कुआ पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 707 रकबा 22.2739 हैक्टेयर की भूमि में लालाराम पुत्र मोडाराम के स्थान पर बालाराम पुत्र मोडाराम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा रामसर का कुआ पटवार हल्का बेरिवाला तला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 707 रकबा 22.2739 हैक्टेयर की भूमि में लालाराम पुत्र मोडाराम के स्थान पर बालाराम पुत्र मोडाराम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 13/01/25 को सरें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested